संख्या–739 / उन्तीस(2)08–2(32पे0) / 2008

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल, 2008

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला योजना के स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 624 / जि0यो0 / रा0यो0आ0 / मु0स0 / 2008 दिनांक 24.03.2008 तथा वित्त विभाग के शासनोदश संख्या 267 / XXVII(1)/2008 दिनांक 27.03.2008 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अंतर्गत जिला योजना ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित विवरणानुसार जनपदवार कुल रू0 1208.82 लाख (रू0 बारह करोड़ आठ लाख बियासी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	जनपद	स्वीकृत धनराशि
1	उत्तरकाशी	177.85
2	चमोली	53.41
3	रूद्रप्रयाग	91.60
4	टिहरी	192.38
5	देहरादून	93.02
6	पौड़ी	245.00
7	हरिद्वार	3.60
8	पिथौरागढ़	21.85
9	चम्पावत	70.00
10	अल्मोड़ा	31.54
11	बागेश्वर	55.21
12	नैनीताल	144.00
13	उधमसिंह नगर	29.36
	योगः–	**1208.82**

कमश..2.

2— उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किश्तों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

3— कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा

4— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0 प्र0शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/75 दिनांक 27– 2–97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इसका कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणनों में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

5— स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

6— उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा।

7— जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

8— स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

9— व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10— स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों तथा जिला अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 30.12.2008 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

12— रू0 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा रू0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव जनपद /मण्डल

क्रमश...3.

स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एंव संख्या विभाग के जनपद/मण्डलय कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे, जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

13– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक– 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–91–ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

14– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.08 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.08 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या–739/उन्तीस/08–2 (32पे0)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढवाल/कॅमाऊ।
3– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
7– वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
8– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमॉऊ।
9–आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड ~~पौड़ी~~ ।
10–स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11–संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम संबंधित जनपद।
12– निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
13– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
14– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
15– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव